न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ (जयपुर)
इजलास - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S
दावा संख्या - 82/2019

1- मिठू देवी पत्नि लेखराज पुत्री गोपाल जाति गुर्जर हाल निवासी पाली तहसील जमवारामगढ (जयपुर)

..... वादिया

बनाम

1- शंकर लाल पुत्र विजय लाल जाति गुर्जर
2- सायरदेवी पत्नि स्व० गोपाल जाति गुर्जर
3- लालाराम पुत्र गोपाल जाति गुर्जर
4- रमेश पुत्र गोपाल जाति गुर्जर
5- सुरेश कुमार सैनी पुत्र चन्दालाल जाति माली
समस्त निवासी - ग्राम पीली तलाई तहसील आमेर जिला जयपुर ।
6- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ जिला - जयपुर ।
7- उपपंजीयक जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ (जयपुर) ।
8- गंगादास चेला दुर्गादास जाति वैष्णो (योगी) निवासी - चैनपुरा ढाणी त्रिलोकपुरा तन रायसर तहसील - जमवारामगढ (जयपुर) ।

..... प्रतिवादीगण

(1) श्री अरविन्द शर्मा (वकील वादी)
(2) श्री राजकरण शर्मा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत तकासमा
एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188
राज० काश्त० अधिनियम

निर्णय दिनांक 08/07/2019

वादिया ने एक वाद बाबत तकासमा
P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादग्रस्त भूमि खाता नम्बर 321/7 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, ख०नं० 323/7 रकबा 0.4800 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर ग्राम निमेड़िया पटवार हल्का जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादिया का हिस्सा 1/28 की सहखातेदार है। अपने-अपने हिस्सों अनुसार काबिज है जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है।

विवादित भूमियों में प्रतिवादीगण की नियत में फितूर आ जाने के कारण बिना विधिक तकासमा कराये ही भूमि को अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा कर कैंचान करने पर आमादा है तथा कालोनी विकसित करना चाहते है। दिनांक 09/05/2019 को वादिया द्वारा प्रतिवादीगणों द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्य को रोकने व तकासमा करवाने के लिये कहा तो आग बबूला होकर धमकी दी कि अधिक भूमि पर कब्जा कर कालोनी विकसित करेंगे। इसलिये बंटवारा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वादिया ने प्रस्तुत वाद पत्र में मद सं० 1 लगायत 10 में अंकित तथ्यों को ताईद करते हुये अनुतोष चाहा कि वाद वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर ग्राम निमेड़िया तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) के ख०नं०. 321/7, व 323/7 कुल किता 2 कुल रकबा 0.7600 हैक्टेयर का सरस-नरस के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेानुसार विधिवत बंटवारा किया जाकर खाता व पर्चा लगान अलग से कायम किये जाने हेतु निवेदन किया है।

उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। जिसमें आगामी पेशी 27/6/19 नियत की गई। दिनांक 24/6/2019 को प्रार्थी। प्रतिवादी गंगादास चेला दुर्गा प्रसाद की ओर से जरिये अधिवक्ता शीघ्र सुनवाई का पेश किया जिसे पत्रावली के रिकार्ड पर लिया गया। जिसमें आगामी पेशी

P.T.O →

Cwp

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

23/06/2019 नियत की गई। तथा पक्षकारो को पुनः नोटिस तलब किया गया। दिनांक 27/05/2019 को नोटिस तामील होकर प्राप्त हुए कार्यालय कागजों पर पक्षकारों की प्रोपर तामील नहीं। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से एडवोकेट श्री सुरेश शर्मा ने वकालतनामा व 3 व 4 की ओर से आइडेन्टिफाई की। तथा दिनांक 27/6/19 को वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 2 स्वयं उपस्थित हुए। प्रतिवादी सं0 1 को नोटिस तामील हुआ। लेकिन बार-बार आवाजें लगवाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अधिवक्ता श्री रामकरण शर्मा ने प्रार्थी। प्रतिवादी श्री रामदास की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0 पी0 सी0 का पेश किया साथ वकालतनामा पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र 01.10.19 पर उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया तथा संशोधित उनवान पेश किया।

उभय पक्षों की बहस वाद पत्र सुनी गई। प्रतिवादी ने जवाब न देकर वाद को प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति की इकबालिया दिनांक [illegible]/7/19 को वाद को प्रारम्भिक डिक्री के आदेश पारित किये जाये

अतः वादग्रस्त भूमि ख0नं0 321/7 रकबा 0.2800 हैक्टेयर, ख0नं0 323/7 रकबा 0.4800 हैक्टेयर वाके ग्राम [illegible] तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में उभय पक्षों के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार, मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते हुए, सरस-नरस के आधार पर प्रार्थना के वाद को प्रारम्भिक डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे दोनों पक्षों को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में कुर्रेजात के प्रस्ताव तैयार कर, कुर्रेजात रिपोर्ट तीन-तीन प्रतियों में अलग-अलग रंग का नक्शा भिजवाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना सहन करेंगे।

P.T.O. →

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

(4)

प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को भिजवाई गई। उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक/ल.भ./उ./4007 दिनांक 8/7/19 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर उभय पक्षों की सहमति की बहस सुनने के उपरान्त, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद में अन्तिम डिक्री पारित की जाती है।

(1) शंकर लाल पुत्र विजय लाल जाति गुर्जर सा० देह को खसरा नं० 323/1 रकबा 0.04 खसरा नं० 323/4 रकबा 0.03, खसरा नं० 321/1 रकबा 0.04 कायम किया जाता है।

(2) गंगादास चेला दुर्गादास जाति बैरागी (योगी) निवासी चैनपुरा खाती त्रिलोकपुरा को ख०नं० 323/2 रकबा 0.15 किता का०3 कायम किया जाता है।

(3) सायरदेवी पत्नि गोपाल जाति गुर्जर सा० देह को ख०नं० 323/2 रकबा 0.012, ख०नं० 323/7 रकबा 0.2830 कायम किया जाता है।

(4) सायरदेवी पत्नि गोपाल हि० 153/240, मोतीराम, रामकिशन पि० गोपाल हि० 7/240 मिठूदेवी पुत्री गोपाल हि० 28/240 जाति गुर्जर सा० देह, सुरेश कुमार पि० पन्नालाल हि० 46/240 जाति माली सा० पीली वलाई आमेर को ख०नं० 321/7 रकबा 0.24 किता का०3 कायम किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वाद में अंतिम डिक्री पारित की जाती है। अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद दर्ज दाखिल रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 8/7/2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

[signature]

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 15:05:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: